



## अध्याय 6

आपदा, बचाव एवं राहत में सरकार  
की प्रतिक्रिया

## अध्याय— 6 : आपदा, बचाव एवं राहत में सरकार की प्रतिक्रिया

15 से 17 जून 2013 के मध्य अनवरत अतिवृष्टि राज्य में, विशेष रूप से बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी जनपदों में आपदा का मुख्य कारण थी। जहां जनपद रुद्रप्रयाग सर्वाधिक तथा उस के बाद पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। एक त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया, जीवन एवं सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक थी। यह सम्पूर्ण सरकारी तन्त्र के आयोजित प्रयासों के माध्यम से ही सम्भव था।

### 6.1 आपदा में सरकार की प्रतिक्रिया

जून 2013 की आपदा न केवल मानव जीवन, सम्पत्ति, वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं की भारी तबाही का कारण बनी बल्कि इसने ऐसी आपदा से निपटने के लिए सरकारी तन्त्र की ओर से की गयी पूर्व तैयारियों की कमियों को भी उजागर कर दिया। सरकार, आपदा के तुरन्त पश्चात राज्य के प्रभावित क्षेत्रों की वस्तु स्थिति के बारे में वस्तुतः अनभिज्ञ थी। यद्यपि उन्हें यह श्रेय जाता है कि जैसे ही भारी वर्षा कम हुई उन्होंने अपने सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि ये प्रयास आपदा के कारण होने वाले विनाश के पैमाने को देखते हुए अत्यंत अपर्याप्त थे। अपर्याप्त प्रतिक्रिया के दृष्टांतों पर इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

#### 6.1.1 पूर्व चेतावनियाँ

भारी वर्षा: 64.5 मिमी - 124.4 मिमी

बहुत भारी वर्षा: 124.5 मिमी - 244.4 मिमी

अत्यधिक भारी वर्षा: >244.5 मिमी

असाधारण रूप से भारी वर्षा: जब वर्षा की मात्रा उस स्थान पर या उसके आस-पास उस माह या मौसम के लिए सर्वाधिक दर्जे के आस पास हो। तथापि, यह शब्द उसी समय प्रयुक्त किया जायेगा जब वास्तविक वर्षा की मात्रा 120 मिमी से अधिक हो। राज्य स्तरीय संस्था तब इसे सम्बन्धित जिला प्रशासन को जिससे यह विशेष चेतावनी सम्बन्धित है, अनुवर्ती कार्यवाही हेतु अग्रसारित करती है।

भारत में मौसम के पूर्वानुमानों को जारी करने हेतु नोडल एजेन्सी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (भा मौ वि वि) है। भा मौ वि वि द्वारा जारी चेतावनियों में भारी वर्षा/ बर्फबारी की तीव्रता एवं वितरण सम्मिलित होता है। पूर्वानुमानों एवं चेतावनियों के लिए प्रयुक्त शब्दावलियों का विवरण जैसा कि मा प्र का में वर्णित है, पार्श्व में दर्शाया गया है। उ स एवं भा मौ वि वि द्वारा प्रदत्त सूचना से यह प्रकट हुआ कि भा मौ वि वि ने एक पूर्व चेतावनी 15 जून 2013 को जारी की

थी। भा मौ वि वि से 15 जून 2013 को चेतावनी प्राप्त होने के पश्चात आ न्यू एवं प्र के ने इसे सम्बन्धित जिला प्रशासनिक कार्यालयों को प्रेषित किया था। भा मौ वि वि से प्राप्त चेतावनी में वर्षा के सटीक स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था। इसमें केवल 15 से 17 जून 2013 के लिए उत्तराखण्ड के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की सम्भावना को सूचित किया गया था। यद्यपि, भा मौ वि वि द्वारा 13 जून को जि अ,

रूद्रप्रयाग को जारी सलाह एवं चेतावनी में उल्लेख किया गया था कि श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं आस-पास के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की प्रबल सम्भावना है। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रारम्भ की गयी अनुवर्ती कार्यवाही का उल्लेख अभिलेखों में नहीं पाया गया था। 13 जून 2013 और 16 जून 2013 के मध्य केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं आस-पास के ऊँचाई वाले क्षेत्रों के लिए जारी पूर्वानुमानों को नीचे प्रवाह चार्ट में दर्शाया गया है:-



राज्य मुख्यालय से पूर्व चेतावनी प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित जनपदों (पिथौरागढ़ एवं टिहरी को छोड़कर) द्वारा इसे तहसील स्तर तक प्रसारित किया गया। फिर भी जि आ प के के स्तर पर या तहसील स्तर पर उसके पश्चात की गई अनुवर्ती कार्यवाही के सापेक्ष कोई लिखित साक्ष्य दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गये। आगे, मौसम चेतावनी को आम जनता में प्रचार-प्रसार करके एवं अनुवर्ती कार्यवाही द्वारा बहुमूल्य मानव जीवनों को कुछ हद तक बचाया जा सकता था।

### 6.1.2 राज्य मशीनरी की तत्काल प्रतिक्रिया

विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना/ आँकड़ों से पता चला कि 15 से 17 जून 2013 की अवधि में क्षेत्र में हो रही लगातार वर्षा से उत्पन्न स्थिति की सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी। केवल 18 जून 2013 को

प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी जब एक दल जिसमें आयुक्त गढ़वाल, उप-महानिरीक्षक पुलिस और अवर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग हैलीकाप्टर द्वारा आपदा स्थल पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि, इस दल द्वारा उपायों या अनुवर्ती सुझावों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गयी थी।

जब 15 से 18 जून की अवधि में राज्य सरकार की तत्काल प्रतिक्रियात्मक कार्यवाहियाँ शुरू करने में असमर्थता को इंगित किया गया तब विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (मार्च 2015) कि इस अवधि के दौरान केदार घाटी के आस-पास की स्थिति किसी भी बचाव अभियान को चलाने के लिए अनुकूल नहीं थी। बचाव अभियानों को तभी शुरू किया गया एवं चलाया गया जब मौसम में कुछ हद तक सुधार हुआ। आगे, क्षेत्र में संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से पंगु हो गयी थी। आपदा के प्रारम्भिक चरण में विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय की भी कमी पाई गयी थी, जिसका कारण पूर्व तैयारियों में कमी के साथ-साथ आपदा का अभूतपूर्व पैमाने पर होना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रभावित जनपदों में रेखीय विभागों को उनके नियन्त्रण अधिकारियों से कोई निर्देश प्राप्त होने के संबंध में कोई अभिलेख नहीं थे जैसा कि आपदा प्रबन्धन विभाग ने इस सम्बन्ध में एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में दावा किया था। 36 गाँवों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान 24 (67 प्रतिशत) गाँवों ने सूचित किया कि सरकारी प्रतिनिधि आपदा के तुरन्त पश्चात समय से पहुँचे। नौ (25 प्रतिशत) गाँवों ने सूचित किया कि सरकारी प्रतिनिधि आपदा के तीन दिन से दस दिन पश्चात गाँव पहुँचे। दो (5 प्रतिशत) गाँवों ने सूचित किया कि सरकारी प्रतिनिधि गाँव में 23 दिन से एक माह पश्चात पहुँचे। एक (3 प्रतिशत) गाँव ने सूचित किया कि किसी भी सरकारी संस्था ने स्थल का दौरा नहीं किया।

### 6.1.3 जिला स्तरीय प्रशासनिक मशीनरी की प्रतिक्रिया

आपदा के पश्चात चयनित जनपदों में तत्काल कार्यवाही शुरू करने में जिला मशीनरी की कमजोर प्रतिक्रिया पायी गयी थी जैसा कि निम्नवत है:-

- (i) दो सर्वाधिक प्रभावित जनपदों (पिथौरागढ़ एवं रुद्रप्रयाग) में भूस्खलनों, जल भराव एवं सड़क बाधित होने के कारण जि आ प के, तहसीलों, विकास खण्डों एवं ग्राम स्तरों पर संचार प्रणाली ध्वस्त हो गयी थी। जि आ प के में जो भी सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी वह स्थानीय लोगों द्वारा दी जा रही थी। प्रशासन इन सूचनाओं को संज्ञान में लेने तथा एक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को बनाये रखने की स्थिति में नहीं था, जैसा कि सम्बन्धित ज आ प्र प्रा की सूचना पंजिकाओं से स्पष्ट था।
- (ii) पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन को भा ति सी पु की तत्काल सहायता लेनी पड़ी। उत्तरकाशी में जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की कमी एवं आवश्यक बचाव उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण जिला प्रशासन को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए भा ति सी पु से अनुरोध करना पड़ा। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन को जनपद में होने वाली घटनाओं का पता ही नहीं था। उसके पास पर्याप्त बचाव उपकरण नहीं थे। जि आ प के के पास अति आवश्यक सार्वजनिक सूचना प्रणाली भी नहीं थी।
- (iii) तीन जनपदों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में सम्बन्धित जिला आपूर्ति अधिकारियों (जि आ अ) द्वारा स्थानीय प्रभावितों एवं राहत शिविरों में सामग्रियों का तत्काल वितरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तुओं का समुचित भण्डारण नहीं किया गया था।


- (iv) तीव्रता के आधार पर चार सर्वाधिक प्रभावित जनपदों (चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी) में आपदा के समय निकासी योजना एवं स्थल संचालन योजना भी विद्यमान नहीं थी। इन योजनाओं के अभाव में सम्बन्धित जिला प्रशासन यह निर्णय नहीं कर सका कि किस क्षेत्र में और कहाँ से निकासी शुरू की जाए। वे विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों की सही संख्या का आंकलन करने की स्थिति में भी नहीं थे। परिणामस्वरूप, इन जनपदों में बचाव अभियानों को माह जुलाई 2013 तक बढ़ाना पड़ा।
- (v) जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न रेखीय विभागों के बीच समन्वय की भी कमी पाई गयी थी जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि (क) रा आ प्र ब के 10 जुलाई 2013 को जनपद पिथौरागढ़ पहुँचने पर पहले धारचूला जाने का कहा गया, जहाँ से उसे मुनस्यारी जाने को कहा गया; (ख) बचाव दल तहसील धारचूला के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र सोबला बिना दवाईयों के पहुँचा, जिसकी वहाँ तत्काल आवश्यकता थी।
- (vi) दो जनपदों (रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी) में चिकित्सा सुविधायें अपर्याप्त थी। रुद्रप्रयाग में प्रभावितों लोगों को तत्काल चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन नहीं किया गया था। उत्तरकाशी में 20.06.2013 से 22.06.2013 में जि आ प के के पास प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर चिकित्सीय सुविधाओं की कमी पाई गयी थी।
- (vii) रुद्रप्रयाग में ज आ प्र प्रा के अभिलेखों के अनुसार केदारनाथ में बाढ़ पहले 16.06.2013 को 18:45 भा मा स और पुनः 17.06.2013 को 06:50 भा मा स पर आई। लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि जिला प्रशासन द्वारा केदारनाथ से लोगों की निकासी के लिए जैसा कि परिस्थिति में आवश्यक था, समय पर कार्यवाही की गई। जिला मुख्यालय में ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला जिससे पता चले कि कोई क्रियात्मक कार्यवाही की गयी थी। इसी प्रकार, रामबाड़ा में लगातार वर्षा 15.06.2013 को 20:15 भा मा स पर हुई जिसके कारण क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। रामबाड़ा 16.06.2013 को 19:30 भा मा स पर बह गया। फिर भी, इस अवधि में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शुरू किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

उपरोक्त से पता चलता है कि सरकार एवं प्रभावित जनपदों के जिला प्रशासन की तात्कालिक प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं थी।

## 6.2 बचाव अभियान

किसी आपदा की आशंका या आपदा में बचाव या असहाय लोगों के स्थानान्तरण में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:-

- पर्याप्त एवं कुशल श्रम शक्ति के साथ खोज एवं बचाव;
- शरण स्थल, आवश्यक आपूर्ति, पेयजल और चिकित्सीय सहायता प्रदत्त कराना; और
- समुचित संचार नेटवर्क उपलब्ध कराना।



जून 2013 की आपदा के पश्चात कुल 1.14 लाख फंसे तीर्थयात्रियों/ स्थानीय लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। इसके अतिरिक्त, करीब 0.36 लाख लोगों को या तो खच्चरों से या पैदल मार्ग से बचाया गया था। अभिलेखों की जाँच में पता चला कि बचाव प्रयासों के संचालन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीं-

### 6.2.1 बचाव अभियानों की शुरुआत

आपदा प्रबन्धन विभाग के साथ-साथ चयनित जनपदों के जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि उत्तराखण्ड सरकार ने सेना, वायुसेना एवं केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (भा ति सी पु एवं रा आ प्र ब) द्वारा बचाव एवं राहत अभियानों में सहायता हेतु माँग की (16 जून 2013)। फिर भी, अभियानों को 18 जून 2013 से ही शुरू किया जा सका। एक अधिक त्वरित कार्यवाही से बहुत से मानव जीवन को बचाया जा सकता था। विभाग ने बताया (मार्च 2015) कि बचाव अभियानों को चलाने में कुछ कठिनाइयों तथा सीमाओं का सामना करना पड़ा था। हेलीकॉप्टरों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक हेलीपैड उपलब्ध नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप अभियानों में लम्बा समय लगा एवं विलम्ब हुआ। उत्तर पुनः राज्य सरकार की ओर से पूर्व तैयारियों की कमी को दर्शाता है।

तीन जनपदों - चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी ने 16 जून 2013 को खोज एवं बचाव अभियानों को चलाने के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। जनपद रुद्रप्रयाग ने इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया। चमोली को छोड़कर समस्त जनपदों को हेलीकॉप्टर 19 जून 2013 को उपलब्ध कराए गये। इस जनपद में बचाव अभियान एक निजी कम्पनी डैक्कन चार्जर्स, जिसका हेलीकॉप्टर संयोग से गोविन्दघाट हेलीपैड पर ही उपलब्ध था, के द्वारा आरम्भ किया गया। इसके द्वारा पुलना (भ्यूंडार) गाँव, जो कि पूरी तरह से बह गया था, की स्थानीय आबादी एवं यात्रियों को वायुमार्ग द्वारा निकालने के लिए घांघरिया ओर जोशीमठ के बीच उड़ाने भरी गई।

बचाव अभियानों के संचालन में निम्नलिखित तथ्य भी प्रकाश में आए:-

- (i) उत्तरकाशी में पाया गया कि फँसे यात्रियों को गंगोत्री मार्ग पर मनेरी एवं डुण्डा के विभिन्न होटलों में ठहराया गया था। ज आ प्र प्रा द्वारा इन होटलों को ₹ 5.04 लाख का भुगतान प्रासंगिक अभिलेखों के सत्यापन के बिना किया गया। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि क्या प्रभावित लोगों को वास्तव में इन होटलों में ठहराया गया था या नहीं, क्योंकि ज आ प्र प्रा के अभिलेखों के साथ-साथ होटलों द्वारा प्रस्तुत बिलों एवं उनकी पंजिका में ठहरे हुए लोगों के नाम अंकित नहीं थे। यह उल्लेख करना उचित है कि राजकीय इण्टर कालेज (रा इ का) मनेरी एवं डुण्डा को भी राहत शिविरों के रूप में उपयोग में लाया गया था। इसे इंगित किए जाने पर ज आ प्र प्रा ने बताया कि लेखापरीक्षा को अन्तिम उत्तर देने से पूर्व मामले की जाँच की जायेगी। अन्तिम उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था।
- (ii) राज्य सरकार ने मानसून मौसम 2011 के पश्चात से प्रत्येक जनपद के लिए एक छः सदस्यीय दल का गठन किया गया था जिसके द्वारा किसी घटना के घटित होने के दौरान बचाव अभियानों की देखभाल किया जाना था और जिनको तत्परता की अवस्था में रहना था। रुद्रप्रयाग में लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2013 की आपदा के समय तहसील ऊखीमठ के उप-जिलाधिकारी कार्यालय में कोई बचाव दल उपलब्ध

नहीं था। परिणामतः तहसील स्तर पर आपदा की प्रतिक्रिया में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त उप-जिलाधिकारी कार्यालय में कोई खोज एवं बचाव उपकरण उपलब्ध नहीं थे। तहसील रुद्रप्रयाग में उप-जिलाधिकारी कार्यालय में एक पाँच सदस्यीय बचाव दल मौजूद था। लेकिन कार्यालय के पास कोई उपकरण उपलब्ध नहीं थे। पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला में छः सदस्यीय बचाव दल की तैनाती की गयी थी। यद्यपि, दल को बड़ी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था जैसा कि उप-जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा बताया गया था। अधिनियम के अस्तित्व में आने के सात वर्ष बाद भी बचाव दलों एवं बचाव उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता की उपलब्धता सुनिश्चित न किया जाना जनपद एवं तहसील स्तरों पर पूर्व तैयारियों में कमी को इंगित करता है। इस तथ्य पर आगे के प्रस्तारों में भी प्रकाश डाला गया है।

### 6.2.2 अपर्याप्त आपूर्ति सहायता के कारण बचाव अभियानों में प्रभावहीनता

किसी आपदा की आशंका या आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जि आ प के का पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना आवश्यक है। निम्नलिखित जनपद विशिष्ट टिप्पणियाँ बचाव अभियानों के दौरान आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरणों जैसे आपात कालीन लाइट्स, इन्फ्लैटेड लाइट्स, सोलर लाइट्स, गैस कटर, वुड कटर इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता को दर्शाती हैं-

- (i) राज्य सरकार ने अगस्त 2012 में जनपद रुद्रप्रयाग को बचाव एवं राहत अभियानों के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 30 लाख प्रदत्त किए। जि आ प के जून 2013 की आपदा तक कोई क्रय नहीं कर सका और आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप, उन्हें अन्य संस्थाओं से मदद के लिये अनुरोध करना पड़ा।
- (ii) टिहरी में जि आ प के ने मार्च-अप्रैल 2013 में ₹ 18.29 लाख मूल्य के बचाव एवं राहत उपकरण क्रय किये। तथापि, यह उपकरण जून 2013 तक सम्बन्धित तहसीलों एवं थानों को उपलब्ध नहीं कराए गये थे जिनके लिए ये क्रय किए गये थे। इंगित किए जाने पर जिला प्रशासन ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि लम्बी निविदा प्रक्रिया एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्ब से आपूर्ति के कारण क्रय प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। जनपद कार्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जि आ प के द्वारा उपकरण जून 2013 की आपदा से काफी पहले ही प्राप्त कर लिए गये थे।
- (iii) पिथौरागढ़ और चमोली में जि आ प के के पास जून 2013 की आपदा के समय आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरण नहीं थे।
- (iv) उत्तरकाशी में जि आ प के ने खोज एवं बचाव अभियानों के संचालन हेतु विभिन्न मर्दों जैसे दूरबीन, छोटा जनरेटर सेट, गैस कटर, फ्लड लाइट्स, सर्च लाइट्स, इन्फ्लेटेबल टावर लाइट्स और आपातकालीन लाइट्स की माँग (जुलाई 2008 और अगस्त 2012) राज्य एजेन्सी से की थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकार द्वारा इन मर्दों की आपूर्ति अभी तक नहीं की गयी थी।

जि आ प्र प्रा के पास अपर्याप्त आपूर्ति सहयोग की उपलब्धता ने उन्हें प्रभावी खोज एवं बचाव अभियानों को स्वयं शुरू करने में सीमित कर दिया। प्रकरण को विभाग के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जि आ प के के सुदृढीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी।

### 6.2.3 बचाव एवं निकासी गतिविधियों में प्रशिक्षित मानवशक्ति की अनुपलब्धता

आपदा प्रबन्धन पर राष्ट्रीय नीति उद्धृत करती है कि क्षमता विकास के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण मात्र हितधारकों के सक्रिय एवं उत्साही भागीदारी से ही प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता वृद्धि, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं। यह आगे बताता है कि आपदाओं के कुशल रोकथाम एवं निपटने के लिए उपयुक्त संस्थागत ढाँचा, प्रबन्धन प्रणालियाँ एवं संसाधनों का आवंटन विद्यमान होना चाहिए।

उत्तराखण्ड में आन्यू एवं प्र के, जो कि राआप्रप्रा की ओर से उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में कार्य करता है, विभिन्न हितधारकों को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने एवं प्रशिक्षण कैलेण्डरों और मापदण्डों को विकसित करने और समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने के लिए उत्तरदायी है, विशेष रूप से ग्रामीणों को जो कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रथम प्रतिवादक होता है। आन्यू एवं प्र के द्वारा प्रदत्त सूचना में पता चला कि 2007-08 से मई 2013 की अवधि में विशिष्ट विभागों जैसे पुलिस, होमगार्ड, अग्नि सेवाओं एवं प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के 2,174 लोगों को आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्याय पंचायतों से 5,675 स्वयं सेवकों को भी 2007-08 से मई 2013 के दौरान खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। यद्यपि, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया कि इन प्रशिक्षित कर्मियों की सेवायें जून 2013 की आपदा के पश्चात खोज एवं बचाव अभियान चलाने में नहीं ली गयी थी।

चयनित जनपदों के जआप्रप्रा द्वारा आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुये विभिन्न हितधारकों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण मापदण्डों को विकसित नहीं किया गया था। चयनित जनपदों में यह भी पाया गया कि किसी भी स्थिति का सामना करने में अभिकरणों की पूर्व तैयारियाँ जाँचने के लिए पूर्वाभ्यास भी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा एवं प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा भौतिक सत्यापन किए गये समस्त 36 गाँवों में खोज एवं बचाव प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया था।

### 6.2.4 पूर्व चेतावनी अवसंरचना की कमी एवं संचार नेटवर्क की विफलता के कारण बचाव अभियान में बाधा

आप्रानी अनुबंधित करती है कि बुनियादी संचार एवं आईटी सहयोग की आवश्यकताओं के लिए (i) विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित प्राधिकारियों एवं भयभीत समुदायों को अग्रिम चेतावनी एवं सूचना वास्तविक समय पर प्रसारित करना; और (ii) आपदा स्थल में नियन्त्रण एवं बचाव अभियानों के संचालन के लिए अन्तिम क्षण तक संयोजकता के अनुरूप होना चाहिए।

खोज एवं बचाव अभियानों के संचालन में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित संचार नेटवर्क का विद्यमान होना आवश्यक था। तथापि, 15 से 17 जून 2013 के दौरान लगातार वर्षा में सम्पूर्ण संचार नेटवर्क ध्वस्त हो गया था। इसने आपदा स्थलों से सटीक जानकारी प्राप्त करने में विभाग को पंगु कर दिया था। अंततः विभाग को अभियानों के विभिन्न स्थलों से प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिये हवाई सहयोग लेना पड़ा। इस प्रकार, संचार नेटवर्क की विफलता ने सूचना के प्रवाह को रोक दिया एवं बचाव अभियानों को बाधित किया।



यह भी देखा गया कि सितम्बर 2008 में राज्य में दो स्थानों (मसूरी एवं नैनीताल) में डाप्लर रडार<sup>1</sup> की स्थापना पर विचार किया गया था। तथापि, इनकी स्थापना अभी तक नहीं हुई। भा.मौ.वि.वि. देहरादून द्वारा इंगित किया गया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों में आवश्यक भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण इन रडारों की स्थापना नहीं की जा सकी। विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि चिन्हित कर दी गई है, जिसे भा.मौ.वि.वि. द्वारा चयन किया जाना है। इस प्रकरण को 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी उठाया गया था। इस मुद्दे पर कार्यवाही की कमी से राज्य को गंभीर नतीजे भुगतने पड़े क्योंकि समय पर मौसम सम्बन्धी चेतावनी से इस आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती थी।

विभाग ने आगे बताया कि राज्य में संचार नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए भा.स.से. 14 उपग्रह फोन प्राप्त करने हेतु एक औपचारिक अनुरोध (अक्टूबर 2014) किया गया है। इसके अतिरिक्त, आगे राज्य में संचार नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे थे।

### 6.3 राहत गतिविधियाँ

राहत आवश्यकतानुसार शीघ्र, पर्याप्त एवं अनुमोदित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। सरकार और दानदाताओं के द्वारा आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत नकद या वस्तु के रूप में, उनके द्वारा सहन की गयी क्षतियों के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिये एक प्रणालीगत और पारदर्शी व्यवस्था का विद्यमान होना आवश्यक है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ राज्य सरकार को जीवन एवं सम्पत्ति के नुकसान के आंकलन के पश्चात प्रचलित मानदण्डों के अनुसार पीड़ितों को राहत प्रदान करनी चाहिए। चयनित जनपदों में राहत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:-

#### 6.3.1 राहत के मानकों की समीक्षा

आपदा प्रबन्धन पर राष्ट्रीय नीति (आ.प्र.रा.नी.) उद्धृत करती है कि राज्य आपदाओं से प्रभावित समुदायों की समकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राहत की वर्तमान संहिताओं एवं नियमावतियों के मानकों की समीक्षा करेगा। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि राज्य सरकार द्वारा आपदा से पूर्व मानदण्डों एवं संहिताओं की कोई समीक्षा नहीं की गयी थी। राहत/ अनुग्रह राशियों के भुगतानों की स्वीकृति/ वितरण तत्कालीन राज्य उत्तर प्रदेश<sup>2</sup> में प्रचलित मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं के आधार पर किया गया था। उपयुक्त डाटाबेस को भी विकसित किया जा सकता था जो कि बाधारहित राहत वितरण में मदद करता और शिकायतों की गुंजाइश को कम करता। इस प्रयोजन हेतु राज्य से संबंधित विशिष्ट मानकों को विकसित करने के लिए मार्च 2015 में एक समिति का गठन किया गया था।

#### 6.3.2 राहत का आंकलन

आपदा प्रबन्धन विभाग को जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के माध्यम से आपदा के कारण फसल की क्षति, भवनों की क्षति तथा मानव एवं जानवरों की हानियों को एक त्वरित सर्वेक्षण का आयोजन कराना

<sup>1</sup> मौसम पूर्वानुमानों की जानकारी कम से कम तीन घण्टों में प्रदान करने हेतु स्थापित किया जाता है।

<sup>2</sup> उत्तर प्रदेश की बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक त्रासदियों की नियमावली।

चाहिए ताकि पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके। जिलाधिकारी को मानव एवं सम्पत्ति की हानियों के आंकलन के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि आवश्यकता के समय कोई विलम्ब न हो। चयनित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि सम्बन्धित जनपद प्राधिकारियों द्वारा राहत अनुग्रह राशि एवं जीवन तथा पशुधन की क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रारम्भिक आंकलन नहीं किया गया था। इंगित किए जाने पर सम्बन्धित ज.आ.प्र.प्रा. द्वारा उत्तर दिया गया कि राहत वितरण से पूर्व प्रभावित परिवारों के बीच इस प्रकार का कोई अभ्यास नहीं किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ 3,260 व्यक्तियों की आबादी को आच्छदित करते हुए 36 गाँवों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन एवं 439 ग्रामीणों के साथ बातचीत के परिणाम नीचे सूचीबद्ध हैं:-

- सरकार द्वारा 21 गाँवों में कोई तत्काल सहायता सामग्री प्रदान नहीं की गयी।
- 22 गाँवों के ग्रामीण राहत सहायता के वितरण से सन्तुष्ट नहीं थे।
- तीन गाँवों द्वारा शिकायत की कि सरकार ने प्रभावित गाँवों में राशन प्रदान नहीं किया गया। आठ गाँवों ने सूचित किया कि सरकार ने राशन आपदा घटित होने के एक सप्ताह से दो माह पश्चात प्रदान किया गया।

### 6.3.3 आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत

अधिनियम में परिकल्पित है कि प्रभावित व्यक्तियों को सहायता आपदा की घटना की तिथि से अधिकतम 15 दिनों की अवधि के अन्दर प्रदान की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने तत्काल राहत की स्वीकृति एवं वितरण में जिला प्रशासन की तत्परता का आंकलन करने का प्रयास किया जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:-

#### 6.3.3.1 सहायता वितरण में विलम्ब

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि मानव हानि एवं पशुधन से सम्बन्धित 33,488 प्रकरणों में से 30,928 प्रकरणों (92 प्रतिशत) में राहत के वितरण में काफी विलम्ब हुआ था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत रूप से है:-

तालिका: 6.1

जनपद का नाम	कुल प्रकरण	निर्धारित अवधि के अन्दर (प्रतिशत)	विलम्ब की अवधि			
			15-30 दिन (प्रतिशत)	एक से तीन माह (प्रतिशत)	तीन से छः माह (प्रतिशत)	छः माह से अधिक (प्रतिशत)
उत्तरकाशी	9,137	974 (11)	2,052 (22)	3,480 (38)	1,998 (22)	633 (7)
पिथौरागढ़	4,599	371 (8)	586 (13)	269 (6)	1,907 (41)	1,466 (32)
चमोली	4,851	266 (5)	20 (1)	3,100 (64)	591 (12)	874 (18)
रूद्रप्रयाग	7,065	531 (8)	2,504 (35)	2,563 (36)	1,115 (16)	352 (5)
टिहरी	7,836	418 (5)	1,118 (14)	1,407 (18)	60 (1)	4,833 (62)
योग	33,488	2,560 (8)	6,280 (19)	10,819 (32)	5,671 (17)	8,158 (24)

स्रोत: सम्बन्धित जनपदों के अभिलेखों से उद्धृत डाटा।

निर्धारित समय-सीमा के अन्दर मात्र 2,560 प्रकरणों (8 प्रतिशत) में सहायता समय से प्रदान की गई। सबसे ज्यादा विलम्ब के प्रकरण जनपद टिहरी तथा इसके पश्चात जनपद पिथौरागढ़ में पाए गये जहाँ क्रमशः 62 प्रतिशत और 32 प्रतिशत प्रकरणों में भुगतान छः माह पश्चात किया गया। इंगित किए जाने पर सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी कार्यालयों ने विलम्ब के कारणों में निधियों की अनुपलब्धता, राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जाँच प्रक्रिया में अधिक समय लगने, कार्मिकों की कमी एवं आपदा की तीव्रता को जिम्मेदार ठहराया (अक्टूबर 2014 से फरवरी 2015)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रभावित व्यक्तियों को सहायता निर्धारित समय-सीमा के अन्दर वितरण करके प्रभावित व्यक्तियों के कष्ट को कम किया जाना आवश्यक है।

### 6.3.3.2 प्रारम्भिक रिपोर्ट के अभिलेखीकरण में कमियाँ

राजस्व उप-निरीक्षक (रा उ नि), जहाँ घटना घटती है स्थानीय लोगों से आपदा में हुई हानियों की सूचना प्राप्त होने पर एवं स्व-प्रेरणा से प्राकृतिक आपदा से हुई हानियों के आंकलन को सम्मिलित करते हुए प्रकरणों की गम्भीरता की जाँच के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है। हानियों के आंकलन के पश्चात रा उ नि तब प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट पी-20 के प्रारूप में तैयार करता है। भवनों की क्षति के प्रकरण में क्षति के मूल्य एवं प्रमाणीकरण के लिए तकनीकी विभागों से तकनीकी सलाह ली जाती है। पशुधन की हानि के प्रकरण में मूल्य एवं पशु की वास्तव में मृत होने का प्रमाणीकरण के बारे में पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के माध्यम से पशु चिकित्सा अधिकारी (प चि अ) की सलाह ली जाती है। राजस्व निरीक्षक (रा नि) भी हानि के समर्थन में घटना के स्थल का भौतिक सत्यापन करता है और अपनी अनुशंसाएँ देता है। रा नि आगे पी-20 को तहसीलदार को अग्रसारित करता है और तहसीलदार भी या तो स्थल पर भौतिक रूप से दौरा करके या रा नि द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों की पुष्टि करता है। कुछ प्रकरणों में, जहाँ यह आवश्यक प्रतीत होता है उप-जिलाधिकारी भी मौके पर घटना स्थल का दौरा करता है और पी-20 में उसकी पुष्टि दर्ज करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान पी-20 प्रतिवेदनों के अभिलेखीकरण में पाई गयी कमियाँ एवं विचलनों को निम्नलिखित प्रस्तरों में दर्शाया गया है:-

- रा उ नि द्वारा तैयार किए गये पी-20 को रा उ नि से ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से जाँचा नहीं गया था। यह इंगित करता है कि समस्त राहत अनुग्रह राशि और जीवन एवं पशुधन की हानि के एवज में क्षतिपूर्ति का भुगतान मात्र रा उ नि द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया था।
- चयनित जनपदों में क्षतिग्रस्त भवनों से सम्बन्धित पी-20 में प्रासंगिक भवन की संख्या एवं विशिष्ट खसरा नम्बर, जिस पर विशेष भवन का निर्माण किया गया था, अंकित नहीं किया गया था। बह गई कृषि भूमि के पी-20 में भी, जिस विशेष भूमि के लिए दावा किया गया था, खसरा नम्बर अंकित नहीं किया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान 20 गाँवों ने शिकायत की कि श्रेणीवार आंकलनों को, विशेषकर क्षतिग्रस्त भवनों के सम्बन्ध में, ठीक ढंग से नहीं किया गया था। अधिकांश गाँवों ने शिकायत की कि तकनीकी अधिकारी द्वारा आंकलन नहीं किया गया था। आगे, 15 गाँवों के 332 ग्रामीणों ने शिकायत की कि उन्हें सम्पत्तियों की हानि के सापेक्ष कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पाँच गाँवों ने अनुरोध किया कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आंकलन की पुनः जांच कराई जानी चाहिए।

### 6.3.3.3 आंकलन एवं प्रमाणीकरण मानदण्डों का उल्लंघन

उ स ने भवनों की हानि का आंकलन एवं प्रमाणीकरण करने के लिए एक अधिशासी स्तर के तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) की तैनाती करने हेतु सम्बन्धित जिला प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए थे (अगस्त 2013)। तथापि, चयनित जनपदों में लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि क्षतिग्रस्त भवनों के 2,131 प्रकरणों में आंकलन/ प्रमाणीकरण अधिशासी स्तर के तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। इनके स्थान पर यह कार्य अधीनस्थ स्तर के अधिकारियों (सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा किया गया था। आगे, तकनीकी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्टों में क्षतियों के प्रतिशत का उल्लेख भी नहीं किया था। यह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरणों में अधिक आवश्यक था। पूर्ण और तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरण में सरकार ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गये थे जिससे पता चले कि क्षति के किस प्रतिशत को पूर्ण या तीक्ष्ण के रूप में श्रेणीकृत किया जायेगा। इंगित किए जाने पर उप-जिलाधिकारी कार्यालयों ने उत्तर दिया कि प्रकरण को भविष्य में अनुपालन हेतु संज्ञान में लिया जायेगा।

### 6.3.3.4 तकनीकी रिपोर्टों के बिना भुगतानों का अन्तिमीकरण

तकनीकी रिपोर्टें एवं पी-20 से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी में तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के 58 प्रकरणों में से 23 प्रकरणों में तकनीकी अधिकारी के प्रमाणपत्रों/ रिपोर्टों को अंकित या सलंगन नहीं पाया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 23 लाख का भुगतान तकनीकी अधिकारी के प्रमाणपत्रों/ रिपोर्टों के बिना किया गया था। इंगित किए जाने पर सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया (जनवरी 2015) कि इन प्रकरणों की जाँच कराई जायेगी और आवश्यक सुधार किए जायेंगे। उप-जिलाधिकारी कार्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन प्रकरणों में भुगतानों को सरकार के स्थायी निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाना चाहिए था।

### 6.3.3.5 रा आ मो नि से सहायता का अधिक भुगतान

- (अ) क्षतिग्रस्त भवनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि 41 प्रकरणों में रा आ मो नि से ₹ 5.36 लाख का अधिक भुगतान इस प्रकार किया गया (i) जनपद पिथौरागढ़ के तहसील पिथौरागढ़ में अनुग्रह राशि का भुगतान (34 प्रकरणों में ₹ 1.80 लाख), (ii) जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में राज्य भूमि पर निर्मित भवनों की क्षति (चार प्रकरणों में ₹ 2.80 लाख) एवं (iii) जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील ऊखीमठ में क्षतिग्रस्त भवनों (तीन प्रकरणों में ₹ 0.76 लाख)। इंगित किए जाने पर सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी कार्यालयों ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि आवश्यक समायोजनों को करने के पश्चात आवश्यक सुधार किए जायेंगे।
- (ब) पशुधन की हानि के प्रकरण में लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि जनपद पिथौरागढ़ और टिहरी के तहसील मुनस्यारी, धारचूला और धनौल्टी के 85 प्रकरणों में रा आ मो नि से ₹ 12.76 लाख का अधिक भुगतान किया गया। इंगित किए जाने पर सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी कार्यालयों ने आश्वासन दिया (जनवरी 2015) कि रा आ मो नि से अधिक भुगतान को पूरा करने के लिए आवश्यक वसूली की जायेगी।
- (स) कृषि भूमि की हानि के प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने पाया कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी में 996 प्रकरणों में बह गई 41.208 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए निर्धारित मानदण्ड ₹ 0.25 लाख प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष ₹ 1.25 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से रा आ मो नि से ₹ 51.51 लाख कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया गया। इस प्रकार रा आ मो नि से ₹ 41.21 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

### 6.3.3.6 रा आ मो नि से सहायता का कम भुगतान

- (अ) क्षतिग्रस्त भवनों के सम्बन्ध में पूर्ण क्षतिग्रस्त श्रेणी के भवनों के अन्तर्गत भुगतान किए गये क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पता चला कि 402 प्रकरणों (पिथौरागढ़: 394 प्रकरणों एवं रुद्रप्रयाग 08 प्रकरणों) में रा आ मो नि से पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था। प्रत्येक पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति की दर ₹ 70,000 के सापेक्ष मात्र ₹ 35,000 का भुगतान रा आ मो नि से किया गया था। इस प्रकार इन प्रकरणों में ₹ 1.41 करोड़ का कम भुगतान किया गया था। इंगित किए जाने पर उप-जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रकरण को भविष्य के अनुपालन हेतु संज्ञान में लिया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रा आ मो नि से भुगतान निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए था।
- (ब) पशुधन की हानि के सम्बन्ध में जनपद पिथौरागढ़ एवं रुद्रप्रयाग के मुनस्यारी एवं जखोली तहसीलों में 454 जानवरों के 81 प्रकरणों के सम्बन्ध में कुल क्षतिपूर्ति ₹ 56.53 लाख का भुगतान किया जाना था जिसके सापेक्ष मात्र ₹ 23.50 लाख का भुगतान किया गया था। अवशेष धनराशि ₹ 33.03 लाख का भुगतान प्रभावित लोगों को अभी किया जाना बाकी था। उपरोक्त के अतिरिक्त दो जनपदों पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के दो प्रकरणों में पीड़ितों को मानदण्डों के अनुसार सहायता प्रदान नहीं की गई थी। इंगित किए जाने पर उप-जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और उत्तर दिया कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण शेष भुगतानों को अभी किया जाना है और भुगतान न किए गये प्रकरणों में मामले की जाँच की जायेगी।

### 6.3.3.7 राहत वितरण में एकरूपता का न होना

पशुधन की हानि के सम्बन्ध में रा आ मो नि के मानदण्डों के अनुसार एक बड़े दुधारू जानवर या चार छोटे दुधारू जानवरों की हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना है। तथापि, उ स ने निर्णय लिया (जून 2013) कि किसी भी पशु हानि के मामले में श्रेणी एवं संख्या को ध्यान में न रखते हुए पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति की जायेगी। चयनित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि छोटे जानवरों की क्षतिपूर्ति को मात्र चार जानवरों की हानि तक ही सीमित किया गया, सिवाय जनपद पिथौरागढ़ को छोड़ कर, जहां छोटे पशुओं की हानियों को एक निश्चित स्तर तक संख्याओं को सीमित किए बिना अभिलिखित एवं प्रमाणित कर भुगतान किया गया। विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

तालिका: 6.2

जनपद का नाम	तहसील का नाम	अभिलिखित संख्या	भुगतान संख्या	पशुओं की श्रेणी
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	6,905	1,258	बकरियां/भेड़
		180	82	गाय/भैंस/बैल
टिहरी	घनसाली	215	82	बकरियां/भेड़
<b>योग</b>		<b>7,300</b>	<b>1,422</b>	

स्रोत: सम्बन्धित तहसीलों के अभिलेखों से उद्धृत।

जनपद रुद्रप्रयाग एवं टिहरी में सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा शासनादेश के अनुसार दावाकर्ता द्वारा अभिलिखित पशुओं की क्षति के सापेक्ष पूर्ण क्षतिपूर्ति नहीं की गयी। इस प्रकार चयनित जनपदों में राहत वितरण में एकरूपता नहीं रखी गयी थी।

#### 6.3.3.8 पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन न किया जाना

उत्तराखण्ड सरकार ने पशुधन की हानि के सम्बन्ध में प चि अ द्वारा पोस्ट-मार्टम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक विधिवत प्रारूप निर्धारित किया था। चयनित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि पशुधन की हानि के समर्थन में प चि अ द्वारा जारी किए गये प्रमाणपत्रों में विषय एवं प्रारूप दोनों में भिन्नता थी। उदाहरण के लिए, (i) जनपद पिथौरागढ़ एवं रुद्रप्रयाग में प चि अ द्वारा गाँव के पंचों के पंचनामा में ही प्रस्तावित बह गये पशुओं के प्रकरणों को प्रमाणित किया गया जबकि जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील जखोली में प चि अ ने प्रमाण-पत्रों को सादे कागजों में जारी किया; (ii) जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में अलग-अलग प्रकरणों के सम्बन्ध में पृथक से प्रमाण-पत्रों को जारी नहीं किया गया था। अपितु, पशुओं की मृत्यु की पुष्टि के पत्रों को जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया था; और (iii) जनपद उत्तरकाशी और टिहरी में प चि अ ने सादे कागजों में प्रमाण-पत्रों को जारी किया।

#### 6.3.3.9 संदिग्ध सहायता

जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में लेखापरीक्षा ने पाया कि पंचों द्वारा 153 प्रकरणों में 1,212 पशुओं को मृत सूचित किया गया, जबकि प चि अ एवं रा उ नि द्वारा मात्र 520 पशुओं की मौत को प्रमाणित किया गया जिसमें सम्मिलित 111 पशुओं के लिए कोई पंचनामा या पोस्ट-मार्टम नहीं कराया गया था। इस प्रकार 111 पशुओं के लिए रा आ मो नि से किया गया ₹ 5.15 लाख का संदिग्ध भुगतान हुआ। इंगित किए जाने पर उप-जिलाधिकारी कार्यालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि मामले की जाँच कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। यह अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।

#### 6.3.4 निष्कर्ष

प्रभावित जनपदों में सरकार एवं जिला प्रशासन की तत्काल प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं था। ज आ प्र प्रा के पास अपर्याप्त आपूर्ति सहयोग की उपलब्धता ने उन्हें प्रभावी खोज एवं बचाव अभियानों को स्वयं शुरू करने में सीमित कर दिया। पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए डाक्टर रडारों को स्थापित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा मानदण्डों एवं संहिताओं की समीक्षा नहीं की गई थी। बाधा रहित राहत वितरण के लिए उपयुक्त डाटाबेस विकसित नहीं किया गया था। जिला प्रशासनों द्वारा राहत अनुग्रह राशि और जीवन तथा पशुधन की हानि की क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रारम्भिक आंकलन नहीं किया गया था। 92 प्रतिशत प्रकरणों में राहत के वितरण में काफी विलम्ब पाया गया था। प्रारम्भिक रिपोर्टों के अभिलेखीकरण में भी कमियाँ पाई गयी थी।

अधिशासी स्तर के तकनीकी अधिकारी द्वारा क्षतिग्रस्त भवनों को प्रमाणीकृत नहीं किया जा रहा था जो कि शासनादेशों का उल्लंघन था। कुछ प्रकरणों में तकनीकी अधिकारियों का मूल्यांकन अंकित नहीं किया जा रहा था। प्रकरणों के निपटारे में एकरूपता भी नहीं पाई गयी। पशुधन के प्रकरणों में पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पोस्ट-मार्टम/ मृत्यु की रिपोर्टों को जारी करने में विधिवत प्रारूप का पालन नहीं किया गया था और पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हानियों को प्रमाणित करने में भी एकरूपता नहीं पाई गई।

### 6.3.5 अनुशंसार्थ

1. सतत अनुकरण और पूर्व चेतावनी पर जोर दिया जाना चाहिए एवं संचार प्रोटोकाल और रणनीतियों की समय-समय पर समीक्षा भी की जानी चाहिए।
2. राहत वितरण को अधिक यर्थाथवादी बनाने के लिए और राहत पैमाने के लगातार संशोधनों से बचने के लिए संहिताओं एवं नियमावलियों की समीक्षा की जानी चाहिए।
3. प्रभावित लोगों के बीच राहत वितरण में प्रशासनिक बाधाओं को न्यूनतम किया जाना चाहिए जिससे कि राहत वितरण को यथा समय एवं अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या, सम्पत्तियों एवं अवसंरचनाओं के व्यापक अभिलेखीकरण की आवश्यकता होगी।